न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/543

मोती लाल आत्मज जगन्नाथ आयु 65 वर्ष जाति कुम्हार निवासी दरा का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

कजोड लाल आत्मज जगन्नाथ जाति कुम्हार निवीस दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. दुर्गालाल आत्मज कजोड जाति कुम्हार निवासी दरा का नयागॉव ।
2. बिरधीलाल आत्मज कजोड जाति कुम्हार निवासी दरा का नयागॉव ।
3. राधेश्याम आत्मज कजोड जाति कुम्हार निवासी दरा का नयागॉव ।
4. सम्पतबाई पुत्री कजोड जाति कुम्हार निवासी दरा का नयागॉव ।
5. मीरा बाई पुत्री कजोड जाति कुम्हार निवासी दरा का नयागॉव ।
6. सुगना बाई पुत्री कजोड जाति कुम्हार निवासी दरा का नयागॉव ।
7. विमला बाई पुत्री कजोड जाति कुम्हार निवासी दरा का नयागॉव ।
8. काली बाई पत्नी कजोड जाति कुम्हार निवासी दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. राजस्थान राजय द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 21 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । वादी व प्रतिवादी दोनों सगे भाई हैं । वादी व प्रतिवादी दोनों सुयक्त परिवार में रहते हुए संयुक्त परिवार की आमदनी से उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 के नाम बनाई थी लेकिन भूमि पर कब्जा वादी व प्रतिवादी दोनों का ही चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी के मन में दुर्भावना आ गई है और प्रतिवादी उक्त भूमि में से वादी के हिस्से की भूमि को हडपने व वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं तथा वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादी का वादपत्र स्वीकार कर वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे तथा शेष 06 बीघा 03 बिस्वा भूमि का खातेदार प्रतिवादी को दर्ज किया जावे । उक्त भूमि से वादी को बेदखल नहीं करने व उक्त भूमि से अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 1 दुर्गालाल ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 14.07.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि पत्रावली में दिनांक 21.03.2016 को प्रतिविादी मृतक कजोड के कायममुकामान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के उपरान्त दिनांक 29.12.2016 को संशोधित शीर्षक पेश किया था । पत्रावली तलबी कायममुकामन हेतु नियत थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली लोक अदालत में रखकर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर खातेदारी बाबत् पेश किया था जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2017 में लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया गया । उक्त आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । पत्रावली नहीं मिलने पर अपीलान्ट के अभिभाषक ने फैसला रजिस्टर का दिनांक 09.04.2018 को निरीक्षण किया तब जानकारी में आया कि उक्त पत्रावली का दिनांक 14.07.2017 को ही निर्णय पारित कर दिया गया है । अपीलान्ट को जानकारी मिलते ही अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है । आराजी संयुक्त परिवार में रहते हुए रेस्पोडेन्ट कजोड के नाम बनायी गई थी उस पर कब्जा संयुक्त रूप से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का था इसके उपरान्त इस आराजी में से 03 बीघा 07 बिस्वा आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के नाम पंजीकृत दानपत्र निष्पादित किया था । अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति हैं उनके द्वारा नामान्तरकरण दानपत्र के आधार पर नहीं खुलवाया गया इसके उपरान्त इस बख्शीशनामा के आधार पर दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया और प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया और वाद खारिज किया गया है । पत्रावली तलबी कायममुकामान में लम्बित थी, सीपीसी की पालना नहीं की गई है निर्णय में यह अंकित है कि गॉव वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र में स्थित है जहॉ पर विरासत के अतिरिक्त नाम खोले जाने पर प्रतिबन्ध है । यह रोक दिनांक 24.12.2010 के बाद से दस्तावेजों के पंजीयन पर है जबकि अपीलान्ट के पक्ष में प्रतिवादी कजोड लाल द्वारा दिनांक 07.11.2008 को बख्शीशनामा निष्पादित किया गया था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की है ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब सरकार में लम्बित थी इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी वादी की उपस्थिति अंकित की गई है परन्तु पक्षकारान में से अन्य कोई उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । पत्रावली पर प्रतिवादी कम 01 ने इकबालिया जवाब पेश किया गया और प्रतिवादी कम 2 सरकार की ओर से जवाबदावा इंकारी पेश किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह

त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा